आर.एन.आई. नं. RAJHIN (2003) 8976
Postal Reg. No. *RJ/JPC/ FN-05/2011-13*

निर्भीक निडर निष्पक्ष

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

''न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'' ''यदि कहीं भी अन्याय है तो वह न्याय के लिए खतरा है''

वर्ष 9 अंक 22 *संस्थापक : स्व. दुर्गाप्रसाद शर्मा* जयपुर, 25 नवम्बर, 2012 पृष्ठ-8 मूल्य : 5 रु. Website : www.nyayikjwala.org.

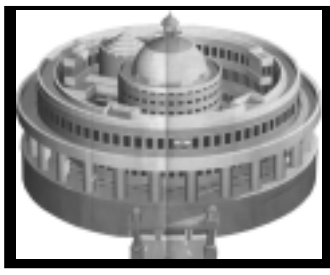

भारतीय संविधान-आम जनता के साथ एक सुनियोजित और संगठित धोखाधड़ी ?

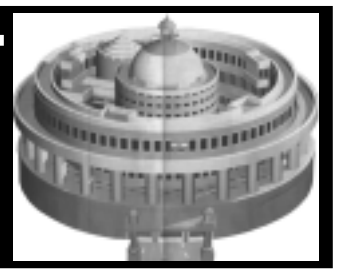

हमारा नेतृत्व भारतीय संविधान की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है और जनता को अक्सर यह कहकर गुमराह करता रहता है कि हमारा संविधान विश्व के विशाल एवं विस्तृत संविधानों में से एक हेने से यह एक श्रेष्ठ संविधान है। दूसरी ओर इसके निर्माण के समय ही इसे शंका की दृष्टि से देखा गया था।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में दिनांक 19.11.1949 को संविधान सभा की बैठक सम्पन्न हुई। इस सभा में संयुक्त प्राप्त (उत्तर प्रदेश) के श्री सेठ दामोदर स्वरूप ने बहस के दौरान कहा कि सामान्यतया सदन के सदस्य मुझे इस जैसे व्यक्ति को हमारे परिश्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर संतुष्ट होना चाहिए था किन्तु श्रीमानजी मुझे इस क्षण अनुमति प्रदान करें कि जब मैं इस सदन में संविधान पर विचार व्यक्त कर रहा हूं तो किसी संतोष के क्षण की अनुमति प्रदान करें कि जब मैं इस सदन में संविधान पर विचार व्यक्त कर रहा हूं तो मुझे लकवा हो रहा है। मुझे ल रहा है कि ब्रिटिश शासन यद्यपि दो वर्ष पूर्व समाप्त हो गया है किन्तु इस देश और निवासियों का दुर्भाग्य है कि इस परिवर्तन` कारण उनकी स्थिति में लेशमात्र भी सुधार नहीं हुआ है। मुझे अंदेशा है कि आम जनता अपने लिए किसी सुधार के स्थान पर इस राजनैतिक परिवर्तन से अपनी स्थिति में और खराबी ाक संदेह कर रही है। वे यह समझने में असमर्थ हैं कि इसका अंत कहां होगा। वास्तव में आम आदमी, जिसके नाम से जो संविधान बनाया गया है और पारित होगा, इसमें मात्र निराशा और अपने चारों ओर अंधेरा ही देखता है।

श्री सेठ ने आगे कहा कि हमारे कुछ साथी यह सोचते हैं कि आम व्यक्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाये गए कानून अभी लागू हैं। उनका विश्वास है कि भारतीय संविधान अब तैयार है और आम व्यक्ति यह महसूस करेगा कि अब वे निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर हैं। किन्तु मैं कटु सत्य को आपके समक्ष रखने के लिए क्षमा चाहता हूं। इस देश के लोग इस संविधान के पूर्ण होने और लागू होने पर भी संतुष्ट या प्रसन्न नहीं होंगे क्योंकि इसमें उनके लिए कुछ भी नहीं है। आप प्रारम्भ से अंत तक इसमें कहीं भी गरीब के लिए भोजन, भुखमरी, नंगे और दलितों के लिए कोई प्रावधान नहीं पाएंगे। इसके अतिरिक्त यह कार्य या रोजगार की कोई गारन्टी नहीं देता। इसमें न्यूनतम मजदूरी, जीवन निर्वाह भत्ता के भी कोई प्रावधान नहीं हैं। इन परिस्थितियों में यद्यपि यह संविधान विश्व का सबसे बड़ा और भारी तथा विस्तृत संविधान हो सकता है, यह वकीलों के लिए स्वर्ग है व भारत के पूंजीपतियों के लिए मैगना कार्टा है किन्तु जहां तक गरीबों और करोड़ों मेहनतकश, भूखे और नंगे भारतीयों का सम्बन्ध है उनके लिए इसमें कुछ भी नहीं है। उनके लिए यह एक भारी ग्रन्थ और रद्दी कागज के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह बात अलग है कि हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं या नहीं, किन्तु हमें यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि यदि हम आम व्यक्ति के विचारों की अनदेखी करते हैं तो भी बड़े लोगों के मत का ध्यान रखना पड़ेगा। भारतीय संसद के अध्यक्ष ने कहा है कि बनाये गये संविधान में भारतीय मानसिकता की बिलकुल भी परछाई नहीं है और यह उसके ठीक विपरीत है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्रीशंकर राव देव के अनुसार यदि इस पर जनमत करवाया जाये तो इसे अस्वीकार कर दिया जायेगा। इस प्रकार यह कैसे कहा जा सकता है कि जनता इससे संतुष्ट होगी। यह स्पष्ट है कि जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया है वे सच्चे अर्थों में आम जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। संविधान निर्माता मात्र 14 प्रतिशत भारतीय लोगों के प्रतिनिधि हैं। यह एक कटु सत्य है जो लोग हम यहां इस सदन में जनता के प्रतिनिधि के तौर पर इकट्ठे हुए हैं राजनैतिक पार्टीबाजी जैसे विभिन्न कारणों से अपने कर्त्तव्यों के पालन में विफल हैं। इस कारण से भारत के लोग जिस प्रकार सरकार परिवर्तन के विभिन्न कारणों से अपने कर्त्तव्यों के पालन में विफल हैं। इस कारण से भारत के लोग जिस प्रकार सरकार परिवर्तन के निराश हैं ठीक उसी प्रकार इस संविधान से भी निराश हैं। यह संविधान इस देश में स्थायी तौर पर कार्य नहीं कर सकता। हम पाते हैं कि इस संविधान में कुछ बातें और सिद्धान्त यथा - आम मतदान और संयुक्त मतदाता, अस्पृश्यता निवारण जैसे अच्छे हैं किन्तु जहां तक सिद्धान्तों का प्रश्न है वे बिलकुल ठीक हो सकते हैं फिर भी यह देखने योग्य है कि उन्हें व्यवहार में किस प्रकार अमल में लाया जाये। संविधान में मूल अधिकार मिले हैं।

श्री सेठ ने आगे कहा कि मैं जोर देकर कह सकता हूं कि मूल अधिकार दिया जाना मात्र एक झूठ है। ये एक हाथ से दिए गए हैं और दूसरे हाथ से ले लिए गए हैं। हमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि वर्तमान में लागू कानूनों के विषय में मूल अधिकारों की गारंटी नहीं है और अपमानकारी प्रकाशन, न्यायालयी अवमानना पर सरकार भविष्य में भी कानून बना सकती है इसके अतिरिक्त संगठन बनाने का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के अधिकार का सम्बन्ध है, सरकार को जनहित की आड़ में इन अधिकारों को छीननेवाला कानून बनाने का अधिकार रहेगा जिससे मूल अधिकार दिया जाना मात्र एक छलावा रह जाता है ठीक इसी प्रकार सम्पत्ति सम्बन्धित अधिकार भी भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधान के समान ही है। परिणामत: सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण असंभव होगा और जनहित में आर्थिक सुधार करने के मार्ग में कई बाधाएं होंगी।

एक ओर हम चाहते हैं कि सामाजिक ढांचे को बिना किसी परिवर्तन के बनाये रखा जाये और दूसरी ओर गरीबी और बेरोजगारी देश से मिट जाए ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिका में कहा था कि समाजवाद और पूंजीवाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते, यह आश्चर्य होता है कि वर्तमान स्थिति को किस प्रकार अपरिवर्तित रखा जा सकता है कि पूंजीवाद बना रहे और जनता की

(शेष पृष्ठ छह पर)

स्वतंत्र भारत : पिछले 65 वर्षों में कहाँ तक पहुंच पाये हम

राजकोष को लुटेरों से बचा पाएं तो बात बने।

मेरे बॉस कहा करते थे ''यदि आप सब कुछ नहीं कर सकते तो जो कर सकते हो वह तो करो''

अपराधियों से मिले पुलिस अधिकारी ही करते हैं कर्मचारियों की कमी का बहाना

राष्ट्र हितार्थ विचारों के प्रसार प्रचार हेतु तन, मन, धन से सहयोगी चाहिये

Em : prabodhchandrashangari@gmail.com

प्रबोध, जयपुर 9414056114

सम्पादकीय ....

सूचना का अधिकार

सरकार के गले की फांस

देश की वर्तमान कांग्रेस सरकार भले ही सूचना का अधिकार लागू करने की वाहवाही लूटे किन्तु अब उसे लगने लगा है कि यह अधिकार तो उनके गले की फांस बन गया है। कांग्रेस के अलावा भी अन्य दलों को भी ऐसा सूचना का अधिकार स्वीकार नहीं जो उनके लिए खतरनाक साबित हो। जबसे सूचना का अधिकार लागू हुआ है, देश में घोटालों की जानकारी का ढेर लग गया है। घोटालों की राशि अब करोड़ों में नहीं कई लाख करोड़ों में तब्दील हो चुकी है और सूचना के अधिकार ने उन्हें सार्वजनिक कर दिया है। परिणामस्वरूप देश के कर्णधारों को जेलों की हवा खानी पड़ रही है। इससे कैसे निजात मिले? इसके लिए उपाय तलाशे जा रहे हैं।

अभी हाल ही मे जब सीबीआई ने घोटालों के बारे में चाही गई सूचना नहीं देने का निर्णय किया तो मामला सूचना आयुक्त के पास पहुंच गया। सूचना आयुक्त ने सरकार व सीबीआई दोनों को कटघरे में खड़ा कर कार्यवाही शुरू कर दी।

भ्रष्टाचार के मामलों की जांच को लेकर अभी तक शीर्ष न्यायालय और हाई कोर्ट की डांट-फटकार सुन रही सीबीआई की मुश्किलें अब सीआईसी ने भी बढ़ा दी हैं। मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) ने भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़ी सभी जानकारियां सार्वजनिक करने का जांच एजेंसी को निर्देश दिया है। सीआईसी ने साफ कहा, 'आरटीआई कानून के दायरे से बाहर रखे गए सरकारी संगठन भी भ्रष्टाचार के आरोपों से सम्बन्धित जानकारी मुहैया कराने के लिए बाध्य हैं।' इस मामले में मुख्य सूचना आयुक्त ने जांच एजेंसी की एक नहीं सुनी।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता सी.जे. करीरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीआईसी सत्यानंद मिश्र ने यह टिप्पणी की। उनका कहना था, 'भष्टाचार और मानवाधिकार हनन के आरोपों से जुड़ी जानकारियों के मामले में एजेंसी को आरटीआई के तहत कोई छूट नहीं मिली हुई है।' मिश्र ने सीबीआई को निर्देश दिया कि भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में मांगी गई सभी जानकारियों को मुहैया कराने पर वह एक-एक करके विचार करे। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखे कि किसी सूचना से राष्ट्रीय और सुरक्षा हित प्रभावित न होने पाए। आरटीआई कानून की धारा-24 की दूसरी सूची के जरिये सीबीआई को सूचना के अधिकार के दायरे में लाया गया है। कानून की इस धारा के तहत यह प्रावधान है कि सूचीबद्ध खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां पारदर्शिता बरतते हुए कोई सूचना उजागर करे।

इससे पूर्व सीबीआई ने आरटीआई कार्यकर्ता की याचिका का पुरजोर विरोध किया। उसकी ओर से कहा गया कि आमतौर पर सीबीआई भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों की जांच करती है। अगर उससे सम्बन्धित जानकारियों को सार्वजनिक कर दिया जाता है तो आरटीआई कानून के तहत एजेंसी को मिली छूट की मंशा बिलकुल निरर्थक हो जाएगी।

ध्यान रहे कि सीबीआई 2जी, एनआरएचएम, अवैध खनन, टाट्रा ट्रक सौदा, राष्ट्र मण्डल खेल समेत कई अन्य घोटालों की जांच कर रही है। उसके वकील का तर्क था कि अगर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सभी जानकारियां सार्वजनिक कर दी जाएंगी तो उसे आरटीआई के तहत छूट वाली सूची में रखने का फायदा ही क्या होगा। सब बेकार हो जाएगा, जांच चौपट हो जाएगी। लेकिन सीआईसी मिश्र सीबीआई की दलील से संतुष्ट नहीं थे। जांच एजेंसी की एक न सुनते हुए उन्होंने कहा कि धारा 24 के तहत ऐसी कोई छूट नहीं है। भ्रष्टाचार संबंधी मामलों से जुड़ी जानकारी मुहैया कराई जाए।

राजनैतिक दलों को आरटीआई नहीं स्वीकार

नई दिल्ली। देश के प्रमुख राजनीतिक दल सूचना अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत आने के इच्छुक नहीं हैं। इन दलों ने केन्द्रीय सूचना आयोग में हुई सुनवाई के दौरान इसका विरोध किया। पार्टियों ने कहा कि उनके कार्यालयों के लिए इमारतों व अन्य सुविधाएं सरकार की आर्थिक मदद के दायरे में नहीं आती हैं।

मुख्य सूचना आयुक्त सतेन्द्र मिश्रा और सूचना आयुक्त अन्नपूर्णा दीक्षित व एमएल शर्मा की पीठ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) की उस अपील की सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजनीतिक दलों को आरटीआई एक्ट के दायरे में लाने की बात कही गई थी। सुनवाई के दौरान भाजपा, बसपा, माकपा व राकांपा सहित बड़ी पार्टियां उपस्थित थी, जबकि कांग्रेस का प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। राकांपा की तरफ से वकील अमित आनन्द तिवारी ने कहा कि आरटीआई कानून के मुताबिक किसी संस्था को लोक प्राधिकार घोषित करने के लिए लोक हित कोई कसौटी नहीं है। अगर दान देने वालों की व ऐसी जानकारियां लोगों के सामने आती हैं तो दूसरी पार्टियों से उन्हें खतरा हो सकता है। इस तरह चुनावी प्रक्रिया बाधित होगी।

सीबीआई सूचनाओं का खुलासा करे

नई दिल्ली। सीआईसी ने सीबीआई को भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सूचनाएं देने का निर्देश दिया है। सीआईसी सत्यानंद मिश्र ने कहा कि उन संगठनों को भी भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर सूचना उपलब्ध करानी चाहिए, जिन्हें आरटीआई के तहत छूट प्रदान की गई है। उन्होंने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह मामलागत आधार पर प्रत्येक अनुरोध को देखे और इस बात पर भी ध्यान दे कि अन्य किसी तरह की छूट के दायरे में नहीं आते हों। आरटीआई कानून की धारा 24 की दूसरी अनुसूची के तहत आती है, जिसमें शामिल देश के राष्ट्रीय एवं सुरक्षा संगठनों को किसी तरह का खुलासा करने से छूट प्राप्त है। भ्रष्टाचार व मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामले छूट के दायरे में नहीं आते।

बसपा के शैल द्विवेदी ने कहा कि सरकार की तरफ से पार्टी को कोई अनुदान नहीं मिलता है। जबकि भाजपा और माकपा ने कहा कि आरटीआई एक्ट का उद्देश्य कभी भी राजनीतिक दलों को इसके दायरे में लाने का नहीं रहा। भाकपा 26 अगस्त 2012 को इस मामले में हुई पहली सुनवाई में ही अपना पक्ष रख चुकी थी।

संविधान में 'राष्ट्रपिता' की उपाधि की इजाजत नहीं : गृह मंत्रालय

नई दिल्ली। महात्मा गांधी को सरकार द्वारा 'राष्ट्रपिता' की उपाधि नहीं दी जा सकती क्योंकि संविधान में शैक्षणिक अथवा सैन्य उपाधियों के अलावा अन्य कोई उपाधि देने की इजाजत नहीं है। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी। लखनऊ की एक छात्रा एश्वर्या पाराशर द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मांगी गई जानकारी के जवाब में गृह मंत्रालय ने उसे बताया कि महात्मा गांधी को 'राष्ट्रपिता' घोषित करने के बारे में राष्ट्रपति से की गई उनकी अपील पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि संविधान की धारा 8 (1) शैक्षणिक और सैन्य उपाधियों के बिना और कोई उपाधि देने की इजाजत सरकार को नहीं देती।

ऐश्वर्या ने महात्मा गांधी के बारे में ब्यौरा चाहते हुए सी आरटीआई दाखिल की थी। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे जाने की वजह भी जानना चाही थी। इसके जवाब में उन्हें बताया गया कि महात्मा गांधी को ऐसी कोई उपाधि नहीं दी गई। इस पर 11वीं कक्षा की छात्रा ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर महात्मा गांधी को 'राष्ट्रपिता' घोषित किए जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया। ऐश्वर्या ने यह जानने के लिए आरटीआई दाखिल की कि उसके आग्रह पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने क्या कार्यवाही की। उसकी अर्जी इस निर्देश के साथ गृह मंत्रालय को भेजी गई थी कि उसके आग्रह पर क्या कार्यवाही की गई इसका खुलासा किया जाए। गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में महात्मा गांधी को 'राष्ट्रपिता' का खिताब न दिए जाने के लिए उपरोक्त वजह बताई।

यदि महात्मा गाँधी राष्ट्रपिता तो सोनिया गाँधी राष्ट्रमाता : भूरिया

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने यूपीए प्रमुख सोनिया गांधी को 'राष्ट्रमाता' बताया है। भूरिया ने कहा कि 'जिस तरह महात्मा गांधी ने बड़े से बड़े पद स्वीकार नहीं किए, उसी तरह सोनिया जी ने भी प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया। यदि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं तो सोनिया गांधी राष्ट्रमाता हैं।'

दिल्ली में कांग्रेस की रैली में दिए इस भाषण पर भूरिया अब भी कायम हैं। उन्होंने कहा कि 'सोनिया जी ने न केवल प्रधानमंत्री पद का त्याग किया बल्कि अपनी सास इंदिरा जी और उनके पति राजीव गांधी के बलिदान के दर्द को भी सहा है, इसलिए हमारी राष्ट्रमाता हैं।'

सीएजी विनोद राय ने सीबीआई, लोकायुक्त व सीवीसी के लिये संवैधानिक दर्जा मांगा

नई दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय ने कहा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और प्रस्तावित लोकपाल को प्रभावी और स्वतंत्र रूप से काम करने देने के लिए संवैधानिक संबल की जरूरत है।

राय ने गुड़गांव में आयोजित विश्व इकोनोमिक फोरम की बैठक में कहा कि वैधानिक संस्थाओं को संवैधानिक संबल देना चाहिए जिससे वे प्रभावी ढंग से और स्वतंत्र रूप से काम कर सके। उन्होंने कहा कि हमारे पास लोकपाल का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इसे स्वतंत्र रूप में काम करने के लिए संवैधानिक गारंटी देनी होगी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती। केन्द्रीय सतर्कता आयोग 'सीवीसी' का भी यही हाल है। अगर आप चाहते हैं कि ये संस्थाएं वास्तव में काम करे तो आपको इन्हें संवैधानिक संस्थाएं बनाने का जोखिम उठाना होगा।

कैग की नियुक्ति छह वर्ष के लिए होती है और इसे इससे पहले सरकार नहीं हटा सकती। सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकार इसे कहीं ओर नियुक्त नहीं कर सकती जबकि दूसरी संस्थाओं के प्रमुखों को सरकार हटा सकती है।

उन्होंने कार्पोरेट जगत में पारदर्शिता की वकालत करते हुए यह कहा कि यह परिवर्तन सरकार की तरफ से नहीं बल्कि मीडिया और नागरिक समूहों की ओर से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज से भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन इसमें कमी लाई जा सकती है।

राय ने कहा कि सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लागू

(शेष पृष्ठ छह पर)

न्यायिक जवाबदेही विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जायेगा

नई दिल्ली। सरकार ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा। सरकार ने संकेत दिया है कि खुली अदालत में किसी भी सांविधानिक संस्था के प्रति मौखिक टिप्पणियां करने से न्यायाधीशों को रोकने संबंधी प्रावधान 'किसी न किसी रूप' में इसमें रहेगा। विधि एवं न्याय मंत्री अश्विनी कुमार ने न्यायाधीशों को मौखिक टिप्पणियां करने से रोकने संबंधी प्रावधान के बारे में पूछे जाने पर कहा कि न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक में यह किसी न किसी रूप में रहेगा। उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ भी बताने की बजाय इतना ही कहा कि संसद के आगामी सत्र में इसे लाया जायेगा। न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक इस साल संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में भारी हंगामे के बीच ही पारित हो गया था।

लेकिन प्रमुख न्यायविदों और उच्च न्यायपालिका के कड़े प्रतिवाद के मद्देनजर सरकार विधेयक में इससे जुड़े प्रावधान पर गौर करने के लिए तैयार हो गयी थी। सारकार ने संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को राज्य सभा में पेश नहीं करने का भी निश्चय किया था। विपक्ष भी विधेयक के इस प्रावधान में संशोधन की मांग कर रहा था। इस विधेयक में नागरिकों को भष्ट न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत करने की सुविधा प्रदान की गयी है लेकिन खुली अदालत में न्यायाधीशों द्वारा की जाने वाली टिप्पणियों पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान को लेकर सरकार की आलोचना भी हो रही थी।

विधेयक में प्रावधान है कि न्यायालय में लम्बित मामले या न्याय के लिए उसके समक्ष आने वाले किसी प्रकरण के संदर्भ में न्यायाधीश किसी भी सांविधानिक या विधायी प्राधिकारी या संस्था या उसके पीठासीन अधिकारी या अधिकारियों के बारे में 'अनावश्यक' टिप्पणियां नहीं करेंगे।

अश्विनी कुमार के पूर्ववर्ती कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा था कि वह 'मामूली संशोधनों' के साथ विधेयक को लेकर फिर से मंत्रिमंडल के पास जायेंगे। यदि कानून मंत्रालय विधेयक में किसी संशोधन के लिए मंत्रिमंडल के पास जाता है तो फिर इसे राज्य सभा की मंजूरी के बाद फिर लोकसभा में पेश करना होगा।

इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उच्चतम न्यायालय में एक समारोह को सम्बोधित करते हुए तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया ने न्यायाधीशों को जवाबदेह बनाने के कानून के प्रति सरकार को आगाह किया था। उन्होंने कहा था, 'सरकार न्यायाधीशों को जवाबदेह बनाने का कानून बना सकती है। हम इससे डरते नहीं हैं लेकिन उसे न्यायिक स्वतंत्रता के संविधान के मूल सिद्धान्त से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।'

न्यायमूर्ति कपाड़िया की इस टिप्पणी के चंद दिनों बाद ही कानून मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि यह विधेयक व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया है और इसके प्रावधान किसी भी तरह से न्यायिक स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करते हैं। बयान में कहा गया था कि न्यायपालिका की कार्यशैली को प्रभावित किये बगैर ही जवाबदेही और स्वतंत्रता दोनों एक-दूसरे को सुदृढ़ बनाने के लिए सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।

अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मुकदमों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में अश्विनी कुमार ने कहा कि सारी प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने की आवश्यकता है ताकि निरर्थक मामलों को प्रारंभिक चरण में ही अलग कर दिया जाये और इससे न्याय प्रदान करने की व्यवस्था पर किसी प्रकार का बोझ नहीं पड़े।

भारतीय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार

अंग्रेजी काल से ही न्यायालय शोषण और भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये थे। उसी समय यह धारणा बन गयी थी कि जो अदालत के चक्कर में पड़ा, वह बर्बाद हो जाता है। भारतीय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अब आम बात हो गयी है। सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों पर महाभियोग की कार्यवाही हो चुकी है। न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार में भाई-भतीजावाद, बेहद धीमी और बहुत लम्बी न्याय प्रक्रिया, बहुत ही ज्यादा महंगा अदालती खर्च, न्यायालयों की भारी कमी और पारदर्शिता की कमी, कर्मचारियों का भ्रष्ट आचरण आदि जैसे कारकों की प्रमुख भूमिका है।

वैसे विगत छह दशकों में राज्य के तीन अंगों के परफॉरमेंस पर नजर डाली जाये तो न्यायपालिका को ही बेहतर माना जाएगा। अनेक अवसरों पर उसने पूरी निष्ठा और मुस्तैदी से विधायिका और कार्यपालिका द्वारा संविधान उल्लंघन को रोका है, लेकिन अदालतों में पेंडिंग मुकदमों की तीन करोड़ की संख्या का पिरामिड देशवासियों के लिए चिंता और भय उत्पन्न कर रहा है। अदालती फैसलों में पांच साल लगना तो सामान्य-सी बात है, लेकिन बीस-तीस साल में भी निपटारा न हो पाना आम लोगों के लिए त्रासदी से कम नहीं है। न्याय का मौलिक सिद्धान्त है कि विलम्ब का मतलब न्याय को नकारना होता है। देश की अदालतों में जब करोड़ों मामलों में न्याय नकारा जा रहा हो तो आम आदमी को न्याय सुलभ हो पाना आकाश के तारे तोड़ने जैसा होगा।

वस्तुत: अदालतों में त्वरित निर्णय न हो पाने के लिए यह कार्यप्रणाली ज्यादा दोषी है जो अंग्रेजी शासन की देन है और उसमें व्यापक परिवर्तन नहीं किया गया है। कई मामलों में तो वादी या प्रतिवादी ही प्रयास करते हैं कि फैसले की नौबत ही नहीं आ पाए। समाचार पत्रों और टीवी के बावजूद नोटिस तामीली के लिए उनका सहारा नहीं लिया जाता और नोटिस तामील होने में वक्त जाया होता रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि कानूनों में सुधार करके जमानत और अपीलों की चेन में कटौती की जाए और पेशियां बढ़ाने पर बंदिश लगाई जाए। हालांकि देश में भ्रष्टाचार इतना सर्वन्यायी हुआ है कि कोई भी कोना उसकी सड़ांध से बचा नहीं है, लेकिन फिर भी उच्चस्तरीय न्यायपालिका कुछ अपवाद छोड़कर निस्तवन साफ-सुथरी है। 2007 की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार नीचे के स्तर की अदालतों में लगभग 2630 करोड़ रुपया बतौर रिश्वत दिया गया। अब तो पश्चिम बंगाल के न्यायमूर्ति सेन और कर्नाटक के दिनकरन जैसे मामले प्रकाश में आने से न्यायपालिका की धवल छवि पर कालिख के छींटे पड़े हैं। मुकदमों के निपटारे में विलम्ब का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। उच्चतम न्यायालय और हाईकोर्ट के जजों को हटाने की सांविधानिक प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कार्रवाई की जाना बहुत कठिन होता है। न्यायिक आयोग के गठन का मामला सरकारी झूले में वर्षों से झूल रहा है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा बच्चों के शिक्षा अधिकार, पर्यावरण की सुरक्षा, चिकित्सा, भ्रष्टाचार, राजनेताओं के अपराधीकरण, मायावती का पुतला प्रेम जैसे अनेक मामलों में दिए गए नुमाया फैसले, रिश्वतखोरी के चंद मामलों और विलंबीकरण के असंख्य मामलों की धुंध में छुप से गए हैं। यह भारत की गर्वोन्नत न्यायपालिका की ही चमचमाती मिसाल है, जहां सुप्रीम कोर्ट और उसके मुख्य न्यायाधीश उन पर सूचना का अधिकार लागू न होने का दावा करते हैं और दिल्ली हाईकोर्ट उनकी राय से असहमत होकर पिटीशन खारिज कर देता है। यह सुप्रीम कोर्ट ही है, जिसने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों, देश के विधि मंत्री हों या अन्य और लम्बित मुकदमों के अंबार को देखकर चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन किसी को हल नजर नहीं आता है। उधर, सुप्रीम कोर्ट अदालतों में जजों की कमी का रोना रोता है। उनके अनुसार उच्च न्यायालय के लिए 1500 और निचली अदालातों के लिए 2300 जजों की आवश्यकता है। अभी की स्थिति यह है कि उच्च न्यायालयों में ही 280 पद रिक्त पड़े हैं। जजों की कार्यकुशलता के सम्बन्ध में हाल में सेवानिवृत्त हुए उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बिलाई नाज ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के लिए कई जज फौजदारी मामले डील करने में अक्षम हैं। 1998 के फौजदारी अपीलें बंबई उच्च न्यायालय में इसलिए पेंडिंग पड़ी हैं, क्योंकि कोई जज प्रकरण का अध्ययन करने में दिलचस्पी नहीं लेता। वैसे भी पूरी सुविधाएं दिए जाने के बावजूद न्यायपालिका में सार्वजनिक अवकाश भी सर्वाधिक होते हैं। पदों की कमी और रिक्त पदों को भरे जाने में विलम्ब ऐसी समस्याएं हैं, जिनका निराकरण जल्दी हो। हकीकत तो यह है कि न्यायपालिका की शिथिलता और अकुशलता से तो अपराध और आतंकवाद तक को बढ़ावा मिलता है। दस वर्ष पूर्व मुम्बई में हुए आतंकी कांड के प्रकरणों का निपटारा आज तक पूरा नहीं हुआ है, जबकि ब्रिटेन में हुई ऐसी घटना के प्रकरण एक-दो साल में निपटाए जा चुके हैं।

सरकार कई वर्षों से न्यायपालिका में सुधार के लिए कानून लाने की बात कर रही है। अब चार मेट्रो नगरों में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली में फेडरल कोर्ट का नया शिगूफा सामने आया है। वस्तुत: न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ इस अंग की कार्यकुशलता और शुचिता लोकतंत्र के लिए लाजिमी है। मुकदमों का अम्बार निपटाने और सुधार करने के लिए केवल कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ही नहीं वरन् देश के अग्रणी न्यायविदों, समाजशास्त्रियों और आम लोगों को विश्वास में लिए जाने की आवश्यकता है। **-मनीराम शर्मा**

पाक्षिक
न्यायिक ज्वाला

आजीवन	:	रू. 1500/-
वार्षिक शुल्क	:	रू. 100/-
मासिक	:	रू. 10/-
एक प्रति	:	रू. 5/-

न्यायिक ज्वाला
एसबी-3, ओटीएस के सामने, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
फोन : 2701029, 2710110

परामर्श मण्डल
न्यायिक ज्वाला

1.	श्री जे.पी. बंसल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
2.	श्री दामोदर मिश्रा	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
3.	श्री वी.के. अग्रवाल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
4.	श्री पी.एन. रछोया	सेवा निवृत्त अति. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस
5.	डा. मोहिनी शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी कॉलेज
6.	श्री के.सी. सेठी	एडवोकेट सुप्रीमकोर्ट
7.	श्री दिनेश अत्री	एडवोकेट
8.	श्री वी.एन. सक्सेना	एडवोकेट

सुप्रीम कोर्ट ने राडिया टैप के लिप्यांतरण के लिए आयकर विभाग को दिया दो महीने का वक्त

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कारपोरेट घरानों के लिए संपर्क का काम करने वाली नीरा राडिया की सुनी गई समूची टेलीफोन वार्ताओं का लिप्यांतरण करने के लिए आयकर विभाग को दो और महीने की मोहलत दे दी। न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति एस.जे. मुखोपाध्याय की एक खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि आयकर विभाग सभी 5800 वार्ताओं का लिप्यांतरण आठ जनवरी को अदालत में पेश करे। ये वार्ताएं एक सौ से भी अधिक घंटे की हैं।

इससे पहले आयकर विभाग की ओर से अतिरिक्त महान्यायवादी ए.एस. चंडियोक ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें यह काम पूरा करने के लिए चार महीने का समय दिया जाए। जजों ने कहा- सारी कवायद दो महीने में पूरी की जाए। आपको इससे अधिक समय देना संभव नहीं है। इस बीच आयकर विभाग ने अदालत को सूचित किया कि उसने 52.7 घंटों की वार्ता का लिप्यांतरण कर लिया है। विभाग ने यह विवरण सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश किया। लेकिन अदालत ने इसका अवलोकन नहीं किया और साफ किया कि सारी वार्ता का लिप्यांतरण मिलने के बाद ही वह इस पर गौर करेगी।

वित्त मंत्री को 16 नवम्बर 2007 को मिली शिकायत के आधार पर नीरा राडिया के टेलीफोन की निगरानी की प्रक्रिया के दौरान यह बातचीत रिकॉर्ड की गई थी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि नौ साल के भीतर नीरा राडिया ने तीन सौ करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा कर लिया है। विभाग ने नीरा राडिया के टेलीफोन की बातचीत 180 दिन रिकॉर्ड की थी। पहली बार 20 अगस्त 2008 से 60 दिन के लिए और फिर 19 अक्टूबर से 60 दिन के लिए टेलीफोन वार्ता रिकार्ड की गई थी। इसके बाद आठ मई 2009 के आदेश के तहत 11 मई से उनका टेलीफोन फिर से 60 दिन के लिए निगरानी पर रखकर उसकी बातचीत रिकॉर्ड की गई थी।

अदालत ने टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा की याचिका पर सुनवाई के दौरान आयकर विभाग को यह समय दिया। रतन टाटा ने टेलीफोन टैपिंग के अंश लीक होने के मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 29 नवम्बर, 2010 को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि टेलीफोन वार्ता के अंश लीक होने से संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। इसमें निजता का अधिकार भी शामिल है। लेकिन अदालत ने इस याचिका का दायरा बढ़ाते हुए आयकर विभाग से जवाब-तलब किया था। अदालत जानना चाहती थी कि टेलीफोन टैपिंग के आधार पर उसने क्या कार्रवाई की है।

अदालत ने आयकर महानिदेशालय (जांच) को निर्देश दिया था कि इस बातचीत का लिप्यांतरण करने के लिए अधिकारियों का एक दल गठित किया जाए। आयकर महानिदेशालय ने ही नीरा राडिया के टेलीफोन की टैपिंग का आदेश दिया था। गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटीगेशंस ने अदालत से अनुरोध किया था कि व्यक्तिगत स्वरूप से बातचीत के अंशों के अलावा टेलीफोन टैपिंग में दर्ज समूची बातचीत सार्वजनिक की जाए।

कोयला आवंटन रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नौकरशाह

नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन में गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट में नई जनहित याचिका दाखिल हुई है। गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज और पूर्व नौकरशाहों की ओर से दाखिल इस जनहित याचिका में 1993 से फरवरी 2012 तक निजी कंपनियों को आवंटित सभी कोयला ब्लॉक निरस्त करने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में कोयला ब्लॉक आवंटन का मुद्दा पहले ही लम्बित है और गत 14 सितम्बर को कोर्ट ने कोयला सचिव से ब्लॉक आवंटन के तय दिशा-निर्देशों व तौर-तरीकों पर जवाब मांगा था। सरकार को अभी कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। यह नई याचिका दाखिल करने वालों में पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी, पूर्व सचिव रामास्वामी, आर. अय्यर, सेवानिवृत्त एडमिरल आर.एच. तहलयानी, पूर्व सचिव सुशील त्रिपाठी और सेवानिवृत्त एडमिरल एल. रामदास शामिल है। याचिका में 1993 से फरवरी 2012 तक के निजी कंपनियों को दिए गए सभी कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द करने की मांग की गई है। यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों के बीच के उन सभी साझा समझौतों को शून्य घोषित किया जाए जिनमें खनन का काम निजी कंपनी के पास हो या जिनसे कोई लाभ निजी कंपनी को होता हो। कहा गया है कि कोयला ब्लॉक आवंटन की जांच हो तो विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराई जाए या फिर कोर्ट की निगरानी में सीबीआई व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इसकी जांच करे। इस बात की भी जांच कराई जाए कि निजी प्रयोग के लिए (कैप्टिव ब्लॉक) दिए गए कोयला ब्लाकों का कंपनियों ने नॉन कैप्टिव इस्तेमाल कैसे किया। याचिका में कंपनियों से हर्जाना वसूले जाने की भी मांग की गई है।

आरोप लगाया गया है कि केन्द्र सरकार ने मनमाने तरीके से कोयला जैसी प्राकृतिक संपदा निजी कंपनियों को बहुत कम दाम पर दे दी। कोयला ब्लॉक आवंटन की पूरी प्रक्रिया अपारदर्शी है। इसकी जांच कराई जाए।

कोयला ब्लॉक आवंटन में घाटे के आकलन पर दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन में 1.86 लाख करोड़ रुपये के राजस्व घाटे के कैग के आकलन पर सवाल उठाने वाली एक याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति आर.एम. लोधा और ए.आर. दवे की पीठ ने न्यूजीलैंड के एनआरई याची बेनेट कैस्टिलीनो (चार्टर्ड अकाउंटेंट) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिस आधार पर कैग की रिपोर्ट को चुनौती दी गई है, वह न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता।

याचिका में कैग को आकलन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया बताने का निर्देश देने की मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सदस्यों वाली लोक लेखा समिति (पीएसी) याचिका में उठाए गए सवालों पर पड़ताल कर सकती है। निर्धारित ढांचे के आधार पर पीएसी कैग को बुला सकती है।

याची ने पूछा था कि कैग ने अपनी सीमा के बाहर जाकर 57 निजी कंपनियों का ऑडिट कैसे किया। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कैग का घाटा अनुमान गलत है। पीठ ने कहा कि कोई भी कानून गणना के मामले में निर्देश नहीं दे सकता।

सरकार ने नहीं दी स्विस बैंक के खाताधारकों की जानकारी

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने स्विट्जरलैंड के बैंकों में खाता रखने वाले भारतीयों के नाम व पतों की जानकारी देने से पल्ला झाड़ लिया है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बताया कि उसे स्विस बैंकों में पूंजी जमा करने वाले भारतीयों के नाम, पते या राशि की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि, दिसम्बर 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने संसद को विदेशी बैंकों में कालाधन जमा करने वालों की सूची मिलने की जानकारी दी थी। सीबीडीटी ने केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को यह जानकारी उस समय दी, जब सूचना आयुक्त राजीव माथुर उत्तर प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

सिंह की आरटीआई आवेदन के जवाब में सीबीडीटी ने दावा किया है कि उनके पास स्विब बैंक खातों में धन रखने वाले भारतीयों के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं है। सीबीडीटी में अपीलीय प्राधिकार ने इस दावे को सही माना था। सूचना आयोग ने सीबीडीटी के जवाब को विधिसम्मत माना और इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। माथुर ने कहा कि आयोग को इस मामले में हस्तक्षेप का कोई कारण नजर नहीं आता है। दिसम्बर 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने संसद को बताया था कि कालेधन को लेकर अलग-अलग देशों से 3600 जानकारियां मिली हैं। उन्होंने बताया था- विदेशी बैंकों में खाते रखने वालों के नामों की सूची भी मिली है, लेकिन हम इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते, क्योंकि सम्बन्धित देश कहेगा कि हमने अंतरराष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन किया है। हाल ही में अरविन्द केजरीवाल ने भी स्विट्जरलैंड की बैंकों में भारतीयों द्वारा धन जमा कराने का मामला उछाला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अंबानी बंधुओं, नरेश गोयल और कांग्रेस सांसद अनु टंडन सहित देश के कई बड़े उद्यमियों ने एक अंतरराष्ट्रीय बैंक की स्विस शाखा में अपने खाते खुलवा रखे हैं। हालांकि, केजरीवाल ने रहस्योद्घाटन के दौरान ऐसे किसी भी स्विस बैंक की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई थी।

पण्डित! कहता तो खरी-खरी था

वेदव्यास

अखबार से पंडित नवल किशोर शर्मा के निधन का समाचार पढ़कर कई पुरानी बातें मन में दौड़ रही हैं क्योंकि मेरा भी उनसे एक रिश्ता रहा है। 5 जुलाई, 1925 को जन्मे पण्डित नवल किशोर शर्मा जीवन के 87 वर्ष पाकर गये जिसमें 1970 से मैं भी उनसे जुड़ा था। उन्हें भाई साहब ही कहता था। प्रारम्भ में उनसे अक्सर मुलाकात रहती थी

अपने परिवार के साथ पंडित नवलकिशोर शर्मा।

और प्रायः जब भी आकाशवाणी कलाकार संघ के काम से दिल्ली जाता था तो उनके नॉर्थ एवेन्यू के फ्लैट पर ठहरता था। यहां एक कमरा हम जैसे आने वाले परिचितों के लिए सदैव खुला होता था। पांच-छह निवार के पलंग थे। आओ! और अपनी-अपनी चादर लगाकर सो जाओ। यदि चाय-पानी लेना हो तो नीचे चाय की गुमटी पर चले जाओ। मुझसे वे कोई 16 साल बड़े थे और मुझे उनकी साफगोई अच्छी लगती थी। उनका छोटा बेटा आनन्द शर्मा अक्सर युवक कांग्रेस की चर्चा लेकर मेरे घर आता रहता था।

मैंने पंडित नवल किशोर शर्मा की राजनैतिक जीवन यात्रा को बहुत सहजभाव से देखा है क्योंकि मैं मूलतः साहित्य प्रेमी होने के नाते राजनेताओं को जिज्ञासा और निरख-परख के भाव से ही देखता आया हूं। तब कांग्रेस का अखण्ड सूरज चमकता था। पंडित जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की राजनीति पर आभा थी और तब कांग्रेस में ब्राह्मणों की तूती बोलती थी। पंडित कमला पति त्रिपाठी और पंडित उमाशंकर दीक्षित का बोलबाला था। भाई साहब भी इसी पंडित कांग्रेस के सक्रिय सैनिक थे।

तब और अब की कांग्रेस में आज मुझे यही एक बात दिखती है कि तब की कांग्रेस में स्वतंत्रता संग्राम की झलक हर कांग्रेसी की कथनी और करनी में मिलती थी और आज केवल ऐसा लगता है कि कांग्रेस में सुविधा और विकास के सभी विकल्प खुले हैं। महात्मा गांधी का जीवन संदेश ही तब सभी कांग्रेसियों में तरोताजा था और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक राजनीति की मारधाड़ कहीं नहीं थी।

जाने-अनजाने सामाजिक और राजनीतिक सरोकारों की समझ के कारण मेरे जीवनकाल में अभी तक कांग्रेस के क्रमशः पूनमचंद विश्नोई, रामनिवास मिर्धा, पंडित नवल किशोर शर्मा, शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत से ही अधिक वाद-संवाद रहा है। अशोक गहलोत ही इनमें मुझसे आयु में छोटे हैं और सोच-विचार में बहुत कुछ समान धर्मा हैं। अतः इनसे मेरी पटरी अधिक बैठी। समय-समय की बात है कि मैंने पंडित नवल किशोर शर्मा के निधन तक राजस्थान और देश में एक ही नहीं दो पीढ़ियों की कांग्रेस का उतार-चढ़ाव देखा है तथा तीसरी पीढ़ी के साथ कांग्रेस की वर्तमान चुनौतियों को देख रहा हूं। पंडित नवल किशोर शर्मा की राजनीति यात्रा इस बात की गवाह है कि वह केन्द्रीय कांग्रेस में लगातार प्रभावशाली रहे और इस कारण राजस्थान में भी प्रारम्भ से लेकर आज तक महत्वपूर्ण रहे। राजस्थान में राजनीति के हर निर्णय का चक्रव्यूह पंडित नवल किशोर शर्मा के बिना अधूरा रहता था और राजस्थान की बदलती जातीय राजनीति के कारण वह दौसा नगरपालिका अध्यक्ष से लेकर प्रधान, विधायक, सांसद और केन्द्रीय मंत्री तथा राज्यपाल तक तो बन गये लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद सदैव उनसे दूर रहा। वह किंग नहीं बने लेकिन किंग मेकर लगातार रहे। पूर्वी राजस्थान ही पंडित नवलकिशोर शर्मा की राजनीति का कुरुक्षेत्र था और वह ब्राह्मण समाज की एक बड़ी उम्मीद थे। कभी इंदिरा गांधी के रहते संजय गांधी के फरमानों की उपेक्षा करने का साहब भाई साहब का ही था।

पंडित नवल किशोर शर्मा में समाज विज्ञान की गहरी समझ थी और वह खांटी कांग्रेसी थे। उनमें कांग्रेस का इतिहास बोध बात-बात में बोलता था और वह पसंद और नापसंद का फैसला पलक झपकते ही कर लिया करते थे तथा जो भी कोई काम काज लेकर आता था उसे हाथों-हाथ दो टूक सी.पी. जोशी की तरह हां और ना कह देते थे। कई मायनों में वह बेबाक और अक्खड़ थे और व्यंग्य भरी मुस्कराहट के साथ अपने समकालीन राजनेताओं को रफा-दफा करते रहते थे। मैं प्रायः उन्हें राजनीति में चाणक्य की भूमिका में पाता था और उनकी निर्भयता को पसंद करता था। उनकी सबसे बड़ी ताकत मुझे उनके जीवन में कांग्रेस की मूल्य प्रधान सिद्धान्त शैली ही लगती थी और वह असहमतियोंको आगे और धमकियों के आगे नहीं झुकते थे। उनकी सोच और समझ में एक जिद रहती थी और वह चरण छूने वाले और गर्दन नापने वालों को आंखों से ही पहचान लेते थे।

मुझे याद है कि उनमें समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के प्रति अटूट आस्था थी और वामपंथियों से उनकी अच्छी पटती थी। कांग्रेस द्वारा प्रकाशित और भाई साहब द्वारा संपादित पत्रिका ''सोशलिस्ट इंडिया'' में मैंने भी वर्षों तक उनके आग्रह पर स्तम्भ लिखा है और आज भी मुझे लगता है कि कांग्रेस की समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राजनीति के प्रति उनकी जैसी प्रतिबद्धता अब केवल अशोक गहलोत में ही बची है। राजस्थान में जाति और धर्म की सामाजिक राजनीति को वह जीवन पर्यन्त रोकने और टोकने में ही लगे रहे।

मैं भी अपने जीवन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को लेकर सदैव सजग रहा हूं अतः मैं समझ सकता हूं कि पंडित नवल किशोर को जात-पात की राजनीति करने वाले लोग पसंद नहीं करते थे। जनता पार्टी ने केन्द्रीय शासन में जब मेरा तबादला, आकाशवाणी जयपुर से भोपाल कर दिया गया था तब मैं अपनी रिट याचिका को लेकर अक्सर राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर के प्रांगण में चक्कर लगाता रहता था तब मेरे कवि साथी वकील मरुधर मृदुल, विनोद शंकर दवे, नाथूलाल जैन, जी.एस. सिंघवी और पंडित नवल किशोर शर्मा के बीच ही मुझे हिम्मत और हौसला मिलता था। मैंने भाई साहब के साथ सैंकड़ों विचार-गोष्ठियां भी की हैं नरम-गरम बहस भी की हैं लेकिन फिर भी वह मुझे स्नेह करते थे और कहा करते थे कि- वेदव्यास जी! आजकल तो मिलते ही नहीं हो? क्योंकि भाईसाहब की तरह मैं भी कुछ मूल्यों और सिद्धान्तों को लेकर अपनी जिद और स्वाभिमान रखता हूं अतः पिछले कई वर्षों से मैं उनसे कम मिलता था और मुझे यही लगता था कि भाईसाहब से फिर कोई बहस नहीं बिगड़ जाये।

मैं अक्सर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बात की बधाई देता रहा हूं कि उन्होंने अपने 1998-2003 के कार्यकाल में पंडित नवल किशोर शर्मा की अध्यक्षता में स्वतंत्रता संग्राम की इतिहास लेखन समिति बनाकर जो महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित करवाये हैं। ऐसे काम अभीतक यहां कोई नहीं कर पाया है। राजस्थान के स्वाधीनता संग्राम पर केन्द्रित यह 100 से अधिक प्रकाशनों की ग्रंथमाला भाई साहब मेरे वरिष्ठ साथी सीताराम झालाणी, लक्ष्मीचंद गुप्ता, कन्हैया लाल कोचर आदि की टीम बनाकर पूरी कराई और वह उनका अविस्मरणीय इतिहास है और उनकी विचार-दृष्टि का प्रमाण है।

मेरे और भाई साहब के बीच यह 42 साल की कहासुनी कुछ ऐसी है कि उनके जाने पर मन उदास है और ऐसा लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस ने अपना एक इतिहास खो दिया है।

मध्य भारत में जो विलक्षण राजनीति कभी द्वारकाप्रसाद मिश्र की थी वही भूमिका राजस्थान में पण्डित नवल किशोर शर्मा की रही है। कोई माने या नहीं माने, लेकिन पंडित! कहता तो खरी-खरी था। कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनने का उनका प्रस्ताव मैंने कभी नहीं माना, लेकिन कांग्रेस का शुभचिन्तक मैं आज भी हूं। मुझे लगता है कि भाई साहब के जाने के साथ ही कांग्रेस के भीतर-बाहर एक बौद्धिक और वैचारिक संवाद की रणनीति का अवसान हो गया है। प्रदेश कांग्रेस के अनेक चुनाव घोषणा पत्र भी अब इस बात की साक्षी हैं कि नई युवा पीढ़ी के प्रति उनके मन में एक उत्साह था और उनकी वाणी आज भी मेरे कानों में गूंजती है कि क्या हाल है आपके अशोकजी के?

धारा 498-ए अप्राकृतिक व अन्यायपूर्ण!

''केवल एफआईआर में नाम लिखवा देने मात्र के आधार पर ही पति-पक्ष के लोगों के विरुद्ध धारा 498ए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिये''-सुप्रीम कोर्ट

डॉ. पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश'

भारत की सबसे बड़ी अदालत, अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनेक बार इस बात पर चिन्ता प्रकट की जा चुकी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का जमकर दुरुपयोग प्रकट की जा चुकी है कि इस धारा के तहत दर्ज किये जाने वाले मुकदमों में सजा पाने वालों की संख्या मात्र दो फीसदी है। यही नहीं इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज करवाने के बाद समझौता करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में इस कानूनी व्यवस्था के तहत एक बार मुकदमा अर्थात् एफआईआर दर्ज करवाने के बाद वर पक्ष को मुकदमे का सामने करने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं बचता है। जिसकी शुरूआत होती है, वर पक्ष के लोगों के पुलिस के हत्थे चढ़ने से और वर पक्ष के जिस किसी भी सदस्य का भी, पधु पक्ष की ओर से धारा 498ए के तहत एफआईआर में नाम लिखवा दिया जाता है, उन सबको बिना ये देखे कि उन्होंने कोई अपराध किया भी है या नहीं उनकी गिरफ्तारी करना पुलिस अपना परम कर्त्तव्य समझती है।

ऐसे मामलों में आमतौर पर पुलिस पूरी मुस्तैदी दिखाती देखी जाती है जिसकी मूल में मेरी राय में दो बड़े कारण हैं- पहला तो यह कि यह कानून न्यायशास्त्र के इस मौलिक सिद्धान्त का सरेआम उल्लंघन करता है कि आरोप लाने के बाद आरोपों को सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन या वादी पर नहीं डालकर आरोपी को कहता है कि ''वह अपने आपको निर्दोष साबित करे।'' जिसके चलते पुलिस को इस बात से कोई लेना-देना नहीं रहता कि बाद में चलकर यदि कोई आरोपी छूट भी जाता है तो इसके बारे में उससे कोई सवाल-जवाब किये जाने की समस्या नहीं होगी। वैसे भी पुलिस से कोई सवाल-जवाब किये भी कहाँ जाते हैं?

दूसरा बड़ा कारण यह है कि ऐसे मामलों में पुलिस को अपना रौद्र रूप दिखाने का पूरा अवसर मिलता है और सारी दुनिया जानती है कि रौद्र रूप दिखाते ही सामने वाला निरीह प्राणी थर-थर कांपने लगता है। पुलिस व्यवस्था तो वैसे ही अंग्रेजी राज्य के जमाने की अमानवीय परम्पराओं और कानूनों पर आधारित है। जहां पर पुलिस को लोगों की रक्षक बनाने के बजाय, लोगों को डंडा मारने वाली ताकत के रूप में जाना और पहचाना जाता है। ऐसे में यदि कानून ये कहता है कि 498ए में किसी को भी अपने-आपको निर्दोष सिद्ध करने के लिए स्वयं ही साक्ष्य जुटाने होंगे। ऐसे में पुलिस को पति-पक्ष के लोगों का तेल निकालने का पूरा-पूरा मौका मिल जाता है।

अनेक बार तो खुद पुलिस एफआईआर को फड़वाकर, अपनी सलाह पर पक्षी पक्ष के लोगों से ऐसी एफआईआर लिखवाती है, जिसमें पति पक्ष के सभी छोटे बड़े लोगों के नाम लिखे जाते हैं। जिनमें पति, सास, सास की सास, ननद-बहनोई, श्वसुर, श्वसुर के पिता, जेठ-जेठानियां, देवर-देवरानियां, जेठ-जेठानियों और देवर-देवरानियों के पुत्र-पुत्रियों तक के नाम लिखवाये जाते हैं। अनेक मामलों में तो भानजे-भानजियों तक के नाम आरोपी के रूप में एफआईआर में लिखवाये जाते हैं तो उनको गिरफ्तार करके या गिरफ्तारी का भय दिखाकर अच्छी-खासी रिश्वत वसूलना आसान हो जाता है और अपनी तथाकथित जांच के दौरान ऐसे आलतू-फालतू झूठे नामों को रिश्वत लेकर मुकदमे से हटा दिया जाता है। जिनसे अदालत को भी अहसास कराने का नाटक किया जाता है कि पुलिस कितनी सही जांच करती है कि पहली ही नजर में निर्दोष दिखने वालों के नाम हटा दिये गये हैं।

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वय टी.एस. ठाकुर और ज्ञानसुधा मिश्रा की बैंच का हाल ही में सुनाया गया यह निर्णय कि ''केवल एफआईआर में नाम लिखवा देने मात्र के आधार पर ही पति पक्ष के लोगों के विरुद्ध धारा 498ए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिये'', स्वागत योग्य है। यद्यपि यह इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। जब तक इस कानून में से आरोपी के ऊपर स्वयं अपने-आपको निर्दोष सिद्ध करने का भार है, तब तक पति पक्ष के लोगों के ऊपर होने वाले अन्याय को रोक पाना असम्भव है, क्योंकि यह व्यवस्था न्याय का गला घोंटने वाली, अप्राकृतिक और अन्यायपूर्ण कुव्यवस्था है।

'एक तरफा खबरें दिखाने वाले चैनलों पर कार्रवाई होगी'

लुधियाना। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री 'स्वतंत्र प्रभार' मनीष तिवारी ने कहा है कि पंजाब सहित देश के विभिन्न भागों में एकतरफा खबर दिखाने वाले चैनलों पर मंत्रालय निगाह रख रहा है और इनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

तिवारी मंत्री बनने के बाद पहली बार यहां जिला कांग्रेस के उनके सम्मान में आयोजित अभिनन्दन समारोह में भाग लेने आये थे। उन्होंने कहा कि आज अखबार तथा चैनलों में आजादी की बात करना काफी हद तक सही ही है क्योंकि कुछ चैनल और अखबार सभी खबरों पर ध्यान देते हैं जो मीडिया के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं। मीडिया को निष्पक्ष एवं नीडर होकर सभी पक्षों की जुबान बनना चाहिये लेकिन हो कुछ और ही रहा है। इकतरफा खबरें दिखाने वाले चैनलों पर मंत्रालय निगाह रख रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने पंजाब के बिगड़ते हालात और खस्ता हाल अर्थव्यवस्था पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों को गोली देकर खुद लाहौर में गोलगप्पे खा रही है। उसे जनता की कोई चिन्ता नहीं है।

तिवारी ने कांगेसजनों से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हम अगले लोकसभा चुनाव में भी जीतने का दावा कर सकते हैं जब अपना घर मजबूत रखें क्योंकि कांग्रेस को कभी कोई नहीं हरा सकता लेकिन कांग्रेस जब भी हारती है तो आपसी गुटबाजी से हारती है।

भारतीय संविधान... (पृष्ठ एक का शेष)

गरीबी और बेरोजगारी मिट जाए। ये दोनों बातें बेमेल हैं अत: यह महसूस किया जा रहा है कि भारत के लोगों की भूख, गरीबी और शोषण ठीक उसी प्रकार जारी रहेगी जैसे आज है यद्यपि आजकल हमारे देश में सहकारिता की चर्चाएं जोरों पर हैं लेकिन नीतिनिदेशक तत्वों में ऐसा कोई सन्देश नहीं है। शब्दजाल के आवरण में गोलमाल निर्देश देना ऐसी व्यवस्था स्थापित करने से बिलकुल भिन्न है फिर भी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष हमें दिलाशा दिलाना चाहते हैं कि देश में पांच वर्ष में ही वर्गहीन समाज स्थापित हो जायेगा। मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना कठिन है कि इन दोनों कथनों का किस प्रकार समाधान किया जाये कि एक ओर हम समाजवाद से घृणा करते हैं और यथा स्थिति चाहते हैं तथा दूसरी ओर शोषक वर्ग का संरक्षण करते हुए वर्गहीन समाज स्थापित करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि ये दोनों विरोधाभासी उद्देश्य किस प्रकार प्राप्त किये जा सकते हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग होने की मांग भी कांग्रेस पार्टी के समान ही पुरानी है किन्तु इस संविधान में कार्यपालिका और न्यायपालिका को यथा शीघ्र अलग करने की ऐसी कोई सुनिश्चित योजना या पर्याप्त प्रावधान नहीं है। राज्यों की स्थिति देखें तो स्पष्ट होता है कि जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है परिणामत: राज्यों के करोड़ों किसान जागीरदारों के गुलाम बने हुए हैं इसके अतिरिक्त कृषि श्रमिक साहूकारों के गुलाम बने हुए हैं इसके साथ हम पाते हैं कि इस संविधान में भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों से भी कई अत्यन्त पिछड़ी और प्रतिगामी बातें हैं। संविधान के प्रारूप में पहले प्रावधान किया गया था कि राज्यपाल मतदाताओं द्वारा सीधा चुना जायेगा। बाद में प्रस्तावित किया गया कि राज्यपाल एक पैनल द्वारा नियुक्त किया जायेगा किन्तु अब राष्ट्रपति यथा संभव अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करेंगे किन्तु यह स्थिति प्रान्तीय सरकारों और राज्यपाल के मध्य द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करेगी। यह संभव है कि प्रान्तीय सरकार की विचारधारा केन्द्र सरकार से भिन्न हो और विचारधाराओं में अंतर से प्रान्तीय सरकार और राज्यपाल के मध्य संघर्ष को स्थान मिले। इसके अतिरिक्त राज्यपालों को 1935 के अधिनियम से भी पिछड़े विवेकाधिकार दिए गए हैं। 1935 के अधिनियम में राज्यपालों के लिए व्यक्तिगत निर्णय के अधिकार थे किन्तु उनके लिए मंत्रिमंडल से परामर्श आवश्यक था किन्तु अब विवेकी शक्तियों के उपयोग के लिए राज्यपालों का मंत्रिमंडल से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपालों की शक्तियां भी आगे बढ़ाने की बजाय पीछे चली गयी हैं। पुन: राष्ट्रपति को भी आपातकाल के नाम से आवश्यकता से अधिक बड़ी शक्तियां दी गयी हैं और केन्द्र को भी प्रान्तों के मामलों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता से अधिक बड़ी शक्तियां दी गयी हैं। हमारा संवैधानिक ढांचा कहने को तो संघीय है किन्तु जहां तक प्रशासनिक स्वरूप का प्रश्न है यह पूर्णत: ऐकिक है। हम समझते हैं कि कुछ सीमा तक केन्द्रीयकरण आवश्यक है किन्तु अति केन्द्रीयकरण का अर्थ देश में अधिक भ्रष्टाचार फैलाना है।

मनीराम शर्मा,
सरदारशहर

सीएजी विनोदराय... (पृष्ठ दो का शेष)

करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर क्यों छोड़ देनी चाहिए। नागरिक समूहों को आगे आना चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी अधिकारियों का कामकाज साफ एवं निष्पक्ष होना चाहिए। पारदर्शिता की अवधारणा निजी क्षेत्र में भी लागू की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि नौकरशाहों और राजनेताओं को यह पता होना चाहिए कि जो भी निर्णय वे लेंगे उसके लिए वे ही जिम्मेदार माने जाएंगे। कैग की रिपोर्ट पर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि 'किसी भी रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों पर अंगुली नहीं उठाई। वे हमारी गणना के बारे में बात कर रहे हैं। हम कह चुके हैं कि रिपोर्ट पर बहस की जा सकती है।'

राष्ट्र ही सर्वोच्च है

''कवच'' विचार मंच

आजादी मुफ्त नहीं मिलती

☛ क्या वास्तव में हम आजाद हैं?

☛ क्या हम आने वाले 63 साल वैसे ही गुजारना चाहते हैं जैसे पिछले साठ साल गुजारे हैं?

आप उस राष्ट्र को क्या कहेंगे जहां एक सच्चा नागरिक अपनी ही सरकार से, अपनी ही पुलिस से और अपनी ही अदालतों से आतंकित हो? ☛ ये आजादी है या गुलामी? ☛ ये हमारे प्रतिनिधि हैं या शासक? ☛ हम नागरिक हैं या प्रजा या याचक? ☛ जिन्हें हम अपने बच्चों का संरक्षक बनाने को तैयार नहीं हैं, उन्हें हम अपने देश का संरक्षक क्यों बना देते हैं? ☛ हर देश में सिर्फ दो किस्म के नागरिक होते हैं देशभक्त और गद्दार। ☛ एक देशभक्त अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है, एक गद्दार अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है।

अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो हम ही समस्या हैं।

☛ क्या समय नहीं आया है कि जिम्मेदार नागरिक हाथ फैलाना बंद करें और मार्गदर्शन शुरू करें।

☛ देश कभी चोर उचक्कों की करतूतों से बरबाद नहीं होता, बल्कि शरीफ लोगों की कायरता और निकम्मेपन से होता है।

☛ क्या हम अपने देशभक्तों की कुर्बानी यूं ही व्यर्थ जाने देंगे?

☛ हम देशभक्तों को सलाम करते हैं और यह जिम्मेदार नागरिकों से अपील करते हैं कि जिनकी आत्मा सो चुकी है लेकिन मरी नहीं है।

आईए हमारे साथ शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद कीजिए और इस देश के नागरिकों को वास्तविक आजादी का एहसास कराइए।

''कवच'' विचार मंच

श्रीगोपाल शर्मा

क्या हम पुलिस व्यवस्था में सुधार चाहते हैं?

1. जांच एजेंसियां पूर्णतया स्वतंत्र होनी चाहिए जैसे न्यायपालिका या चुनाव आयोग।
2. जांच अधिकारी की शैक्षणिक योग्यता एल.एल.बी. होनी चाहिए।
3. गिरफ्तारी से पूर्व सबूत जुटाने चाहिए।
4. चार्जशीट फाइल करने से पहले मुख्य गवाहों के बयान सशपथ न्यायालय में होने चाहिए।
5. झूठे शपथ पत्र एवं झूठे मुकदमे दर्ज करने वालों पर धारा 181 के तहत उन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
6. जांच अधिकारी की जवाबदेही होनी चाहिए।
7. चार्जशीट से पहले उभय पक्षों के मध्य उच्च स्तर पर बहस होनी चाहिए।
8. गलत गिरफ्तारी तथा न्यायिक अभिरक्षा में रखने का मुआवजा/दण्ड निर्णय में ही सुनाया जाना चाहिए और उसकी वसूली जांच अधिकारी से की जानी चाहिए।
9. साधारण मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगनी चाहिए तथा उचित मुचलकों पर अभियुक्त को बेल मिलनी चाहिए।
10. न्यायिक अभिरक्षा न्यायिक संरक्षण में होनी चाहिए न की जेल अधिकारियों के।
12. पुलिस का जांचतंत्र एवं सतर्कता दोनों अलग होने चाहिए।

क्या है सतर्कता विभागों की सार्थकता!

1. कल तक जो पुलिस अधिकारी थाने में भ्रष्ट पाया गया था और दण्ड स्वरूप उसका स्थानान्तरण सतकर्ता विभाग में कर दिया गया तो कभी उसे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में नियुक्त कर दिया जाता हो?
2. क्या यह विडंबना नहीं है कि जिस न्यायिक अधिकारी को दण्ड स्वरूप न्यायालय से हटाकर सतर्कता विभाग में बैठा दिया जाता हो?
3. क्या यह विडंबना नहीं है कि भ्रष्ट अधिकारियों की जांच भी भ्रष्ट अधिकारी के द्वारा ही कराई जाती हो?
4. क्या यह विडंबना नहीं है कि आज तक कभी किसी अधिकारी के गंभीर से गंभीर आरोप या अपराध पर उसे उसके इस सतर्कता तंत्र द्वारा सजा दिलाई गई हो?
5. क्या किसी शिकायत कर्ता को उसकी शिकायत पर पूछताछ के लिए बुलाया गया हो और उसकी शिकायत पर सुनवाई हुई हो?
6. क्या झूठी शिकायत करने वाले को कभी सजा दिलाई गई हो?
7. क्या यह विडंबना नहीं है कि उच्चाधिकारियों की जांच उनके कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा करवाई जाती हो?

अंग्रेजों के शासन में हम गुलाम थे तब तो इस व्यवस्था/प्रथा/परम्परा को उचित ठहराया जा सकता था किन्तु आजाद कहलाने वाले इस राष्ट्र के लिए क्या यह गंभीर प्रश्न नहीं है?

सतर्कता विभागों को इन विभागों से पूर्णत: अलग रखने पर ही इनकी कोई उपयोगिता हो सकती है अन्यथा यह महज एक औपचारिकता बन कर रह गये हैं।

आपके इस विषय पर क्या विचार है उठाइये कलम और लिख भेजिए अपने सुझाव।

'कवच' विचार मंच

संयोजक

श्रीगोपाल शर्मा

देशवासी गंभीरता से विचार कर आत्मचिंतन करें

1. क्या हम वास्तव में आजाद हैं?
2. क्या देश में कानून का शासन है?
3. अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक कैसे होगा तय?
4. आखिर यह धर्मनिरपेक्षता क्या है? इस राष्ट्र में साम्प्रदायिक कौन है?
5. क्या देश को धर्म, जाति, सम्प्रदाय व भाषा के नाम पर बांटा जाना गंभीर विषय नहीं है? और यह राष्ट्र के लिए कितना घातक होगा इसकी कल्पना की जा रही है?
6. धनवान और धनवान, क्रीमीलेयर को आरक्षण क्या इससे राष्ट्र सम्पन्न मान लिया जावे?
7. कब तक हम लोकसेवकों को वीआईपी और अपने आपको याचक (भिखारी) समझते रहेंगे?
8. क्यों नहीं होना चाहिए सबके लिए समान कानून?
9. कश्मीरी पंडित अपने ही देश में विस्थापित होने पर क्यों है सम्पूर्ण राष्ट्र मौन?
10. देश के मुसलमान कश्मीर में धारा 370 का क्यों कर रहे हैं समर्थन?
11. आतंकवादियों को पनाह देने वाले कैसे माने जा रहे हैं धर्मनिरपेक्ष?
12. जेलें क्यों बन रही हैं अपराध ट्रेनिंग सेंटर?
13. क्यों वर्षों वर्षों तक न्याय के लिए हम भटकने को मजबूर हैं? क्यों न हो न्यायपालिका इसके लिए जवाबदेह?
14. भ्रष्टाचार एवम् घोटालों के विरुद्ध क्यों नहीं उठ रही आवाज?
15. संसाधनों के अभाव का तर्क देकर कब तक आम नागरिकों के मानवाधिकारों का होता रहेगा हनन? इन पर कीजिए मनन।

क्या उपरोक्त प्रश्न हमें यह अहसास कराते हैं कि हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं?

यदि हम चाहें तो लम्बित मुकदमों का शीघ्र निस्तारण हो सकता है

1. झूठे शपथ पत्र पर सजा का प्रावधान सख्ती से लागू हो।
2. न्यायालय आदेशों की अवज्ञा में दण्डित किया जाए, न कि समझाइश। क्योंकि इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है जिसके पक्ष में आदेश पारित हुआ है।
3. कानूनी प्रक्रिया **(Due Process)** को परिभाषित किया जाए।
4. प्रसंज्ञान स्तर पर मुकदमों की समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि 80 प्रतिशत मामले तो प्रसंज्ञान स्तर पर ही निपट सकते हैं।
5. न्यायिक हिरासत (ज्यूडिशियल कस्टडी) वास्तव में न्यायिक अधिकारी के अधीन होनी चाहिए, न कि सजायाफ्ता अपराधियों के साथ जेल में।
6. न्यायिक आदेशों की समीक्षा की जानी चाहिए इसके नाम के दुरूपयोग पर दंड का प्रावधान हो।
7. सतर्कता विभागों का स्वतंत्र अस्तित्व हो क्योंकि कई बार जिस अधिकारी के विरूद्ध कोई शिकायत लंबित होती है वही अधिकारी सतर्कता विभाग में नियुक्ति पा जाता है ऐसी स्थिति में कैसे लागू हो सकता है दण्ड का विधान।
8. मुकदमों के निर्णय के साथ ही संबंधित पक्ष को दिया जा सकने वाला अर्जा-खर्चा स्पष्ट हो जिससे एक और मुकदमा हर्जा वसूली का ना हो।
9. स्वीकार्य तथ्यों पर साक्ष्य आदि में अनावश्यक विलम्ब से बचा जाए।
10. दीवानी मामलों में प्रश्नावली (इंट्रोगेटरीज) को बढ़ावा दिया जावे।
11. झूठे मुकदमे दायर करने वालों व न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करने वालों को दण्डित किया जावे।

गाँधी दर्शन प्रणीत संस्थान शुद्धिकरण मंच, जयपुर

आकंठ अनाचरणों एवं दुर्बुद्धिकरण में डूबी गाँधी दर्शन प्रणीत संस्थाओं में शुद्धिकरण की अलख जगाना बेमानी बन रहा है

'न्यायिक ज्वाला' के गत दिनांक 10.11.12 के अंक में जयपुर बजाजनगर क्षेत्र में लोक सेवा संस्थान नामक खादी संस्था में पड़े सी.बी.सी. के छापे में '50 लाख की गड़बड़ी' के समाचारों पर संस्था के इर्द-गिर्द सम्बन्धित नियंत्रण रखने वाली संस्थाओं (संस्था संघ, खादी मिशन) और सरकारी उपक्रमों (खादी कमीशन, खादी बोर्ड, प्रमाण पत्र आदि) की चुप्पी पर मंच ने खेदभरा आश्चर्य जाहिर किया था इसके बावजूद भी किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। मंच द्वारा इन सभी निकायों को इस क्रम में सूचित भी कर दिया था।

मंच संयोजक की खादी मिशन के संयोजक श्री बालविजय भाई से समय-समय पर 'गाँधी दर्शन' विचार की दिशा और दशा पर विस्तार से चर्चा होती रही है। चर्चाओं में उठे गंभीर बिन्दुओं पर दी गई मंच की अभिव्यक्तियों पर उनकी प्रतिक्रिया जानी गई तो उनका स्पष्ट उत्तर था कि उनका और मंच का लक्ष्य एक ही है, रास्ता कुछ भिन्न हो सकता है। उन्होंने बार-बार यह भी जाहिर किया था कि मंच की अभिव्यक्तियों का उनके पास क्या अन्य किसी के पास भी कोई उत्तर विशेष नहीं है। पर सभी की अलग-अलग मजबूरियां हैं।

श्री बालविजय भाई ने देश की सबसे बड़ी जानी-मानी खादी संस्था 'खादी आश्रम' लखनऊ को खादी कार्य और गांधी दर्शन विचार की वर्तमान दिशा और दशा पर चिन्ता प्रकट करते हुए संस्था के संचालकों को अपील जारी करते हुए तदर्थ सुधार हेतु अनुरोध किया है। उस अनुरोध की प्रति प्रस्तोता को भी प्रकाशनार्थ दी है। यद्यपि उक्त पत्र का यथावत प्रकाशन कर रहे हैं तथापि मंच इस अनुरोध पत्र को 'अरण्य रोदन' से अधिक नहीं मानता क्योंकि भांग कूंए में ही नहीं पड़ी, हवा में भी व्याप्त हो गई है।

खादी मिशन

गोपुरी, वर्धा, महाराष्ट्र, 442114
Email : kmgopuri@yahoo.co.in
संयोजक : बालविजय

क्रमांक ..... दिनांक : .....

श्री अध्यक्ष/मंत्री
श्री गाँधी दर्शन आश्रम, लखनऊ (यूपी)

आप जानते है कि गांधीजी ने पुरानी लाचारी की खादी को क्रान्तिकारी रूप दिया। स्वस्थ, समृद्ध, हिंसा-मुक्त भारत निर्माण की संभावना उन्होंने उस कार्यक्रम में देखी। उसी दृष्टि से 1918 में भारत में खादी-कार्यक्रम सार्वजनिक तौर पर प्रारम्भ हुआ। फिर 1920 में विजयवाड़ा के कांग्रेस अधिवेशन में खादी कार्यक्रम को कांग्रेस ने स्वीकार किया। उसी संदर्भ में पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि खादी स्वराज्य की वर्दी है।

उस वर्दी को लोकमान्य और लोकप्रिय बनाने के लिए उसी साल श्री गांधी आश्रम की स्थापना हुई। इस दृष्टि से भारत के वर्तमान सभी खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं के लिये श्री गांधी आश्रम आयोनिअरिंग संस्था है। अनेक तपस्वीयों को शक्ति, बुद्धि श्री गांधी आश्रम के निर्माण में लगी है और आज आप जैसे समर्पित, कर्मठ सेवक इसे संभाल रहे हैं। लेकिन आज जबकि खादी में अंतर्निहित नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक मूल्यों को नष्ट करने का सुनियोजित ढंग से प्रयास चल रहा है, और खादी को सिद्धान्तविहीन कपड़े के रूप में प्रसारित करने का सोचा जा रहा है, ऐसे समय क्या श्री गांधी आश्रम केवल मूक-दर्शक बना रहेगा?

अब समय आ गया है कि श्री गांधी आश्रम को तन-मन-धन से समर्पित वृत्ति से खादी-रक्षा अभियान में दृढ़ता के साथ अगुआ बनना चाहिए और देश की कुल संस्थाओं को, जो गांधी विचार के प्रतिकूल दिशा में जा रहा है। इस समस्त खादी सेवक और सर्वोदय सेवक अपना कर्त्तव्य नहीं निभा पायेंगे तो विश्वभर की नयी पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी को क्षमा नहीं करेगी। इसलिए विवेकानन्द के आदेश का पालन करना आवश्यक हुआ है- उठो, जागो, रुको नहीं, जब तक उद्देश्य हासिल नहीं होता।

बालविजय

पत्र की प्रतिलिपि श्री गांधी आश्रम की सभी इकाइयों को भेजने की व्यवस्था करेंगे, ऐसी आशा है।

पाक्षिक
न्यायिक ज्वाला

आजीवन	:	रू. 1500/-
वार्षिक शुल्क	:	रू. 100/-
मासिक	:	रू. 10/-
एक प्रति	:	रू. 5/-

न्यायिक ज्वाला
एसबी-3, ओटीएस के सामने, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
फोन : 2701029, 2710110

परामर्श मण्डल
न्यायिक ज्वाला

1.	श्री जे.पी. बंसल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
2.	श्री दामोदर मिश्रा	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
3.	श्री वी.के. अग्रवाल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
4.	श्री पी.एन. रछोया	सेवा निवृत्त अति. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस
5.	डा. मोहिनी शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी कॉलेज
6.	श्री के.सी. सेठी	एडवोकेट सुप्रीमकोर्ट
7.	श्री दिनेश अत्री	एडवोकेट
8.	श्री वी.एन. सक्सेना	एडवोकेट

हाल ही में गत दिनांक 1 से 4 नवम्बर, 2012 को बीकानेर की प्रमुख खादी संस्था 'खादी मंदिर' प्रांगण में मानव और प्रवृत्ति केन्द्रित सार्क सम्मेलन हुआ था। इस आयोजन का आमंत्रण प्रदेश की खादी संस्थाओं के फैडरेशन 'संस्था संघ' अध्यक्ष श्री इन्दूभूषण गोइनका तथा जिला सर्वोच्च मंडल तथा खादी मंदिर के अध्यक्ष श्री फूसराज छल्लाणी द्वारा जारी हुआ था जिसमें गांधी दर्शन, ग्राम स्वराज्य, जे.पी. की सप्त क्रान्ति विचारों का आधार बताया था। प्रस्तोता ने बड़ी आशा-अपेक्षा से अपनी भागीदारी दी थी परन्तु इस आयोजन में प्रदेश की रचनात्मक संस्थाओं की उपस्थिति नगण्य ही नहीं प्रायः नहीं थी। निमंत्रकों के उद्बोधन भी नहीं हुए। यह स्थिति गांधी दर्शन विचार की सही दशा और दिशा की पोल खोल रही है। वैसे अब आयोग में बुद्धि विकास की तो कोई कमी नहीं थी परन्तु कार्यक्रम प्रकट भी हुआ।

प्रस्तोता- रामदयाल खण्डेलवाल, लोकसेवक-स्वयंसेवक

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीगोपाल शर्मा के लिये अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.कार्यालय मुकुन्दगढ़ हाऊस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर से मुद्रित एवं एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। फोन : 2710110 प्रधान संपादक श्रीगोपाल शर्मा, संपादक सुधीर शर्मा, सह सम्पादक गोविन्द मिश्र, सुरेश अग्रवाल। **Website : www.nyayikjwala.org.**
ई-मेल आई डी : sgs.nyayikjwala@yahoo.com, info@nyayikjwala.org. पत्र से संबंधित तमाम विवादों का निपटारा जयपुर न्यायिक क्षेत्र में ही होगा।